HRA AN USING

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 317] No. 317] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2007/आषाढ़ 21, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2007/ASADHA 21, 1929

सुचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुला<mark>ई, 20</mark>07

सा.का.नि. 482 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2007 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के उप-नियम (6) में, पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात :--

"परंतु यह कि कोई केबल आपरेटर, जिसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, केन्द्रीय सरकार को 11 मई, 2006 को या उससे पूर्व किया गया था और वह विचाराधीन है, 10 अगस्त, 2007 तक के लिए या ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने या खारिज किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी टेलीविजन प्रसारण या चैनल में अपनी केबल सेवा जारी रख सकेगा या सम्मिलत कर सकेगा।"

[फा. सं. 1601/71/2006-टीवी(I)]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :--मूल नियम सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996, सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000, सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006, सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006, और सा.का.नि. 697(अ), तारीख 11 नवंबर, 2006 और सा.का.नि. 286(अ), तारीख 11-04-2007 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2007

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22, of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 6, in Sub-rule (6), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that a Cable Operator may continue to carry or include in his cable service any Television broadcast or channel, whose application for registration to the Central Government was made on or before 11th May, 2006 and is under consideration, for a period upto 10th August, 2007 or till such registration has been granted or refused, whichever is earlier."

[F. No. 1601/71/2006-TV(I)]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published vide G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and amended vide G.S.R. 459(E), dated the 8th October,1996, G.S.R. 710(E), dated the 8th September, 2000, G.S.R. 282(E), dated the 11th May, 2006, G.S.R. 452(E), dated the 31st July, 2006, G.S.R. 459(E), dated the 2nd August, 2006, G.S.R. 469(E), dated the 9th August, 2006 and G.S.R. 697(E), dated the 11th November, 2006, and G.S.R. 286(E), dated the 11-4-2007.